न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, दौसा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27.05.2024	सरकार जरिये जिला पुलिस अधीक्षक दौसा बनाम रामसिंह उर्फ रामू पुत्र श्री सीताराम महावर किस्म मुकदमा : इस्तगासा अन्तर्गत गुण्डा एक्ट मु0नं0 39/2014 पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। गैरसायल रामसिंह उर्फ रामू पुत्र श्री सीताराम महावर निवासी दरवाजापाडा कुम्हार मोहल्ला दौसा थाना कोतवाली दौसा के विरूद्ध राजस्थान अभ्यस्थ अपराधी अधिनियम 1953 की धारा 3 के अन्तर्गत कार्यवाही करने बाबत इस्तगासा जरिये पुलिस अधीक्षक दौसा द्वारा दिनांक 21.2.2014 को प्रस्तुत किया गया है। गैरसायल की तलबी हेतु जारी नोटिस की तामील में अंकितानुसार गैरसायल रामसिंह पुत्र सीताराम महावर 10–12 सालों से बाहर चला गया है तथा कहां रहता है इसका कोई पता नहीं होना अंकित करते हुए नोटिस अदम तामील प्राप्त हुआ है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि गैरसायल इस्तगासा दायर किये जाने से पूर्व ही बाहर चला गया है जिसका कोई पता नही होना व्यक्त किया गया है। ऐसी स्थिति में गैरसायल के विरूद्ध इस न्यायालय द्वारा कोई कार्यवाही किये जाने का औचित्य नहीं है। अतः इस्तागासा इस आशय के साथ खारिज किया जाता है कि गैरसायल के सम्बन्ध में नवीन अपराधिक रिकॉर्ड के सम्बन्ध में जांच कर नियमानुसार अपेक्षित हो तो नवीन इस्तगासा पेश किया जा सकता है। निर्णय की प्रति पुलिस अधीक्षक महोदय दौसा को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ठ अभिलेखागार की जावे। निर्णय आज दिनांक 27.5.2024 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया। (सुमित्रा पारीक) अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा Signature Not Verified Digitally signed by Sumitra Pareek Date: 2024.06.07 18:09:26 IST Reason: SelfAttested	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official